

राजस्थान-सरकार,,

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।

क्रमांक : एफ6(22)प्राशिनि/ई-1/सी-2/ कैम्प जयपुर-1

दिनांक :- 13.01.2023

:: कार्यालय-आदेश ::

निम्नलिखित अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान/ कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं। संस्था/ कार्यालय प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त कर निदेशालय को अवगत करावें:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	दीपक कुमार सुथार	वरिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. श्रीगंगानगर	राज. पॉलि. महा. बीकानेर में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद विरुद्ध रिक्त पद पर
2	सुरेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. चुरू	राज. महिला पॉलि. महा. बीकानेर में रिक्त पद पर
3	महेन्द्र परिहार	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. पिलानी (कैम्प झुन्डुनू)	राज. पॉलि. महा. जोधपुर में रिक्त पद पर
4	रामा किशन बिश्नोई	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. पाली	राज. पॉलि. महा. जोधपुर में रिक्त पद पर
5	भंवरलाल	कनिष्ठ सहायक	राज. पॉलि. महा. जालौर	राज. पॉलि. महा. सिरोही में रिक्त पद पर
6	सुखदेव जांगिड़	टेक्निशियन फर्नीचर एवं केबिनेट मेकर	राज. पॉलि. महा. जैसलमेर	राज. पॉलि. महा. मण्डोर (कैम्प जोधपुर) में रिक्त पद पर

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है, उन्हें नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा।




निदेशक, तकनीकी शिक्षा

दिनांक :- 13.01.2023

क्रमांक : एफ6(22)प्राशिनि/ई-1/सी-2/ कैम्प जयपुर-1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र क्रमांक प. 8(1)त.शि./ 2023 जयपुर दिनांक 13.01.2023 के क्रम में।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, श्रीगंगानगर/ चुरू/ पिलानी (कैम्प झुन्डुनू)/ पाली/ जालौर/ जैसलमेर/ बीकानेर/ जोधपुर/ सिरोही/ मण्डोर (कैम्प जोधपुर) एवं राजकीय महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर संबंधित कार्मिक को बिना किसी पत्र व्यवहार किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करने/ कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण करने की सूचना ई-मेल करते हुये डाक द्वारा तत्काल प्रेषित करावें।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्था प्रधान।
5. निजी पत्रावली निदेशालय/ संस्थान।



निदेशक, तकनीकी शिक्षा